अध्यक्ष महोदय

23 MAR 2001 असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

ग० मु० (एस० ए०) 170—बोनो— 500— —30-2-2001—.

टर्न-१/२३-०३-२००१/मुस्ताक

दूदड़ा विधान-सभा

पंचम सतट

शुक्रवार, तिथि २३ मार्च, २००१ ई०
०२ चैत्र, १९२३ श०

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय ११-०० बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(सदन में शोरगुल)

(विरोधी दल के तमाम माननीय सदस्यागण नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में चले आये)

अध्यक्ष :- जीरो आवर में बातें उठाईयेगा । अभी प्रश्नोत्तर-काल चलने दीजिए । मैं समय दूंगा आपलोगों को जीरो आवर के बाद । आपलोग अपनी अपनी अपनी जगह पर जाईये ।

सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य चौबे जी आप अपनी जगह पर जाईये । माननीय सदस्य रामनरेश बाबू मैंने आपसे कहा था कि जीरो आवर के बाद आपलोगों को समय देंगे ।

(माननीय सदस्य श्री रामनरेश राम रिपोर्ट के ठु टेबुल पर चढ़ गये)

अध्यक्ष :- यह गलत बात है, आप नीचे उतर जाईये ।

अब सदन की कार्यवाही आरम्भ की जाती है, अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । मैं नेता विरोधी दल के से आग्रह करूंगा कि वे अपने सदस्यों को बिठायें । मैं जीरो आवर के बाद बोलने का मौका दूंगा । आपलोग जो कह रहे हैं, मैं इस संबंध में छूछूंगा और सरकार इसमें कार्रवाई करेगी । माननीय सदस्य चौधरी जी, माननीय सदस्य भगवान बाबू अपनी अपनी जगह पर जाईये । अब प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए ।

(इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी जगह पर चले गये)

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य, श्री रामनरेश राम जी आपसे तो मेरी बात हो गयी थी कि जीरो आवर में हम आपको अवसर देंगे और आपकी बातें सुनकर निर्णय लेंगे । मैं निश्चित रुप से जीरो आवर के बाद समय देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी: सरकार ने पांच चापाकल लगाने की घोषणा की थी लेकिन एक भी चापाकल (नेपथ्य) नहीं लगाया गया तो इस सरकार को रहने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष: यह बात भी होगी । जीरो आवर में उठाइयेगा ।

श्री भगवान सिंह: अध्यक्ष महोदय, विधायक कोटा में कटौती हो गयी, हाऊस चलाने का क्या औचित्य है ?

श्री भाई वीरेन्द्र: आसन के मदद की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष: जीरो आवर में आसन मदद करेगा।

श्री रामनरेश राम: अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष: रामनरेश बाबू, जीरो आवर में मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा । अब प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न संख्या-१५७५

श्री सुरेश पासवान(राज्यमंत्री): १-वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष १९९२-९३ से ९७-९८ की अवधि में अविभाजित बिहार राज्य में प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधायें सृजित करने के निमित्त कुल ६८६.७४ लाख रुपये की प्राक्कलित राशि की परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी ।

इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीयांश मात्र ५४५.७५ लाख निर्धारित किया गया । निर्धारित केन्द्रांश के विरुद्ध भारत सरकार से किस्तों में राशि प्राप्त होती है।

केन्द्र सरकार द्वारा ५४५.७५ लाख रुपये के विरुद्ध अबतक किस्तों में २३४.१२ लाख रुपये की राशि विमुक्त की गयी है ।

केन्द्रांश की उपर्युक्त प्राप्त राशि के विरुद्ध ९ परियोजनायें पूर्ण कर संचालित की जा चुकी है एवं २३२.८१५ लाख रुपये का व्यय हो चुका है। भारत सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जा चुका है । कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा कुछ भूमि के अभाव में लंबित हैं जिनके संबंध में वांछित कार्रवाई प्रगति पर है ।

२-उपर्युक्त के आलोक में इसका प्रश्न नहीं उठता है।